

बिहार मानवाधिकार आयोग

9, बेली रोड, पटना 15

पत्रांक: BHRC / Estb. - 08/2015 11596 पटना, दिनांक 13/07/2015

प्रेषक,


OSD (HLU)

सेवा में,



मो० सलीम अख्तर अंसारी, वि०प्र०से०
उप सचिव ।

प्रधान सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।



सविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या उ०सत०स० / सा०प्र०-01/2015- सा० प्र०- 002 दिनांक 19 मई, 2015

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में बिहार मानवाधिकार आयोग,

पटना में सविदा पर कार्यरत कर्मियों के संबंध में वांछित सूचनाएँ निम्नवत् है :-

01	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम	चालक - 05 पद कार्यालय परिचारी - 11 पद
02	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	कुल नियोजित चालक - 05 कुल कार्यरत चालक - 05 कुल नियोजित कार्यरत परिचारी - 11 कुल कार्यरत परिचारी - 11
03	किस योजना / परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी ?	बिहार मानवाधिकार आयोग कार्यालय, पटना हेतु नियोजन किया गया ।
04	नियोजन का पद क्या श्रेणी का है (समूह ग या घ)	चालक - समूह - 'ग' का पद कार्यालय परिचारी - समूह - 'घ' का पद
05	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश / पद सृजन आदेश ।	हाँ स्वीकृत्यादेश की प्रति संलग्न है।
06	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ।	प्रत्येक बार नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुई है।
07	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन / नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।)	विज्ञापन की छायाप्रति संलग्न
08	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	नियोजन चयन समिति के अनुशंसा के पश्चात् हुई है। चयन समिति में आयोग के सचिव, उप सचिव एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के अन्य विभाग के पदाधिकारी थे।

5.0/9TM
6/8/15

570-632

66/8/15

श्री रामबाबू
7-8-15

09	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	(i) आदेशपाल - (i) अष्ठम उत्तीर्ण (ii) साईकिल चलाने (ii) चालक - (i) अष्ठम उत्तीर्ण (ii) वाहन चालक का वैद्य लाईसेंस यातायात विनियमन, रख-रखाव एवं सामान्य जानकारी
10	क्या नियोजन कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	हाँ
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हाँ
12	नियोजन हेतु नियुक्ति / नियोजन पदाधिकारी	आयोग के आदेशानुसार उप सचिव के हस्ताक्षर से नियोजन पत्र निर्गत किया गया।
13	उपर्युक्त नियुक्ति / नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	इस संदर्भ में उच्चस्तरीय बैठक की कार्यवाही संलग्न। माननीय अध्यक्ष का अनुमोदन के पश्चात् नियोजन किया गया है।
14	नियोजन पत्र / अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	संलग्न
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	छः माह
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	छः माह
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना	संलग्न
18	प्रत्येक पदवार मानदेय / पारिश्रमिक / वेतन / Consolidated Pay इत्यादि की भुगतान राशि।	प्रथम बार चालक को 4500/- रुपये प्रतिमाह, दिनांक 11/05/2011 से 11,000/- रुपये तथा दिनांक 01/12/2013 से 14910/- रुपये प्रतिमाह। प्रथम बार आदेशपाल को 4000/- रुपये प्रतिमाह, दिनांक 11/05/2011 से 8900/- रुपये तथा दिनांक 01/12/2013 से 14385/- रुपये प्रतिमाह।
19	जिस शीर्ष / मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ - 00 - 104 - सतर्कता - 0013 - बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग - 31 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा।
20	जिस नियमावली / संकल्प / परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18/07/2007

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप सचिव,

बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।

****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**